न्यायालयः—मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया, प0 चम्पारण।
शिकारपुर थाना काण्ड सं0—282/2017
TR. No.-545/2021
GR-2815/2017
CIS-2851/2017

दिनांक 20—07—2021

शिकारपुर थाना काण्ड सं0—282/2017 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने वर्चुअल मोड में अपने आवेदन दिनांक 20/07/2021 को संचालित किया तथा आवेदक ने अपने आवेदन के माध्यम से कथन किया है कि उपरोक्त वाद में वाहन सं0 WB–73C-5727 (Tata 709) वाहन 44 बटालियन सशस्त्र सीमा बल, नरकटियागंज (Bihar) का सरकारी वाहन है । उपरोक्त वाद के वाहन सं0 WB–73C-5727 (Tata 709) वाहन 44 बटालियन सशस्त्र सीमा बल, नरकटियागंज (Bihar) से सरकारी कार्य होते थे तथा इसके आभाव में ड्यूटी करने में काफी कठिनाई हो रही है। उक्त वाहन को दिनांक 03/08/2018 को दो माह के लिए औपबंधिक रूप से मुक्त किया गया था। सरकारी कार्य में व्यस्तता होने तथा कोविड–19 होने के कारण उक्त वाहन को स्थायी रूप से मुक्ती करने का आदेश न्यायालय से नही लिया गया तथा इसके लिए श्रीमान् से आवेदक क्षमा प्रार्थी है। अतः उक्त वाद में हुए विलंब के लिए क्षमा करने की कृपा प्रदान करते हुए उक्त वाहन को दिनांक 03/08/2018 के आदेश के आलोक में पूर्व के क्षतिपूर्ति बांड के साथ स्थायी मुक्ति का आदेश पारित करने तथा उक्त वाहन को मरम्मत कराने के पश्चात उसे सरकारी कार्य में इस्तेमाल करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाऐ तथा आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है ।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में दिनांक 03/08/2018 को आवेदक शैलेश कुमार सिंह डिप्टी कमान्डर 44 बटालियन एस0एस0बी0 नरकटियागंज की ओर से जप्त वाहन सं0— डबलू बी—73—सी—5727 को मुक्त करने हेतु एक आवेदन दिया गया। आवेदन को सुनकर न्यायालय ने उपर्युक्त वाहन को चार लाख रूपये के दो प्रतिभुओं द्वारा इंडेमनिटी बांड दाखिल करने पर औपबंधिक रूप से दो माह के लिए मुक्त किया था।

आवेदक का कथन है कि उक्त 44 बटालियन एस0एस0बी0 नरकटियागंज, बिहार का सरकारी वाहन है, उक्त वाहन को मरम्मत करने के पश्चात उक्त वाहन को उसे सरकारी कार्य करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाये । आवेदक सरकारी कार्य में व्यस्त एवं कोविड–19 होने के कारण उक्त वाहन को स्थायी करने का आदेश न्यायालय द्वारा नही ले पाया जिसके लिए आवेदक क्षमा प्रार्थी है ।

उपरोक्त परिस्थतियों एवं तथ्यों के आलोक से न्यायहित में जप्त वाहन को सरकारी कार्य में इस्तेमाल करने हेतु एवं आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराने की अनुमति के साथ उपरोक्त औपबंधिक निमुर्म्ति आदेश को इस शर्त पर सम्पुष्ट किया जाता है कि आवेदक वाद के निस्पादन तक उपरोक्त वाहन का अन्तरण नही करेगे एवं इसके रंग रूप में स्थायी रूप से कोई परिवर्तन नही करेगें तथा जब भी न्यायालय द्वारा आदेश होगा तो उसे प्रस्तुत करेगे ।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बेतिया, प0 चम्पारण ।